



भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
निचली गंगा मंडल-2, पटना
Lower Ganga Division-2
148, Anandpuri, WBCR- Patna-01



ईमेल: mgd5cwcpatna@gmail.com

संख्या: निगम-2/मु0 -5 /2019/ 1789-91

दूरभाष : 0612-2558249

दिनांक: 16-5-19

कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा, पंजीकृत फर्मों से निम्नांकित सामग्री/ सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इस कार्यालय द्वारा मुहरबंद निविदा दिनांक 25/05/2019 को पूर्वाह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

क्र० सं०	मॉडल नाम एवं विवरण	मात्रा
1.	Steel Almirah Methodex:- Almirah powder coated :-Size of 1980 (h) x 915 (w)x485 (d) mm, storage of five compartment. High quality cold rolled lose annealed sheet. Thickness of door sheets is would be of 20 gauge and rest body of 22 gauge. Three way bolting with six lever lock of high quality hinges Colour-grey.	07

प्राप्त किये गये कोटेशन उसी दिन दिनांक- 25/05/2019 को अपराह्न 1:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके कक्ष में खोला जायेगा। कोटेशनकर्ता/इनके प्रतिनिधि, यदि चाहे तो उस समय में अपने खर्च पर सम्मिलित हो सकते हैं। दिये गये दर शब्द एवं अंक दोनों में लिखे होने चाहिए। यदि लिखे गये दर की कहीं कटींग/ऑवरराइटिंग हो तो उसे कोटेशनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरयुक्त होना चाहिए। लिफाफे पर "Quotation for Supply of steel Almirah" के लिये कोटेशन, कोटेशन संख्या एवं कोटेशन खुलने की तिथि लिखा होना चाहिए तथा कोटेशन अधिशासी अभियंता, निचली गंगा मंडल-2, केन्द्रीय जल आयोग, 148 ए आनंदपुरी, पटना - 800001 के प्रति होना चाहिए।

अधोहस्ताक्षरी को किसी भी कोटेशन अथवा सम्पूर्ण कोटेशन को बिना कारण बताये रद्द करने के अधिकार होंगे।

शर्तें-

- संपादित सामानों की आपूर्ति संतोषजनक एवं त्रुटी रहित होना चाहिए।
- आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का दर इस कार्यालय तक पहुँचाने तक का होना चाहिए।
- GST संख्या कोटेशन पर अंकित होना चाहिए।
- उद्धृत कोटेशन खुलने के एक सौ अस्सी दिनों तक मान्य होना चाहिए।
- अग्रिम भुगतान संबंधी किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- कार्य संपादित होने एवं विपत्र प्राप्त होने के बाद विपत्र का भुगतान PFMS के माध्यम से खाता में किया जायेगा। विपत्र टिकट लगाया हुआ पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ होना चाहिए।
- कार्य/ आदेश जारी होने के 15 दिनों के अन्दर सामग्री का आपूर्ति करना होगा।
- आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा बाद में घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(नरेन्द्र नाथ शंकर)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:

- लेखाशाखा, निचली गंगा मंडल-2, केन्द्रीय जल आयोग, पटना।
- नोटिस बोर्ड निचली गंगा मंडल-2, केन्द्रीय जल आयोग, पटना/मुख्य अभियन्ता कार्यालय/प्रबोधन निदेशालय, पटना।
- ✓ Uploaded on CWC Website.